प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **01/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
श्याम लाल व्यास पताः नारायणपुरा, तहसील–भीण्डर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीण्डर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10/2/25

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 12.11.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/01/25 /03–04 दिनांक 07.01.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्र क्रमांकः सू.अ./2025/2025 दिनांक 31.01.2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय में तैयार कर रखी गई है। चाही गई सूचना के कुल पेजों की संख्या 3 होकर प्रति पेज 2/– रुपये की दर से कुल 6/– रुपयये जमा योग्य है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आर.टी.आई. /2024/443 दिनांक 11.12.2024 द्वारा प्रार्थी को उक्त राशि अविलम्ब जमा कराने हेतु पाबन्द किया गया। किन्तु प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराने से वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रथम अपील को निस्तारित करने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही जा रही वांछित सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्रांक 443 दिनांक 11.12.2024 से सूचना से संबंधित वांछित शुल्क जमा कराने हेतु निर्धारित समय में लिखा गया है। अपीलार्थी द्वारा वांछित शुल्क जमा नहीं कराये जाने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह चाही जा रही सूचना से संबंधित वांछित शुल्क सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीण्डर के कार्यालय में जमा करा चाही जा रही सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को लिखवाया जाकर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर